निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 20 / 2022
दायरा दिनांकः—12.04.2022
निर्णय दिनांकः— 20.11.24

उनवान

1. दिलीप शर्मा आयु 27 वर्ष पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण
2. नीतु आयु 30 वर्ष पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण
3. पुजा आयु 24 वर्ष पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासीगण भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
4. चन्दाबाई आयु 53 वर्ष पुत्री सत्यनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. जमनालाल आयु 50 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण
2. बाबूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण
3. भगोती बाई आयु 48 वर्ष पत्नि प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण
4. मोहनीबाई आयु 75 वर्ष पत्नि स्व0 प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण
5. मांगीलाल आयु 75 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति ब्राहम्ण
6. दीपक आयु 23 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण
7. पंकज आयु 21 वर्ष पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण
8. सुमन उर्फ रीना आयु 25 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण
9. शीलाबाई आयु 20 वर्ष पुत्री जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण
10. शांतिबाई आयु 53 वर्ष बेवा जगन्नाथ जाति ब्राहम्ण कृषि निवासी ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
11. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 20.11.24

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री चिंरोजीलाल भार्गव— प्रार्थी
2. श्री हेमन्त पारीक — अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल भीलवाड़ा नीचा तहसील छबड़ा में कृषि भूमि खसरा नंबर 12 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नंबर 13 रकबा 12 बीघा, खसरा नंबर 20 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा खसरा नंबर 44 रकबा 03 बीघा 17 विस्या, खसरा नंबर 51 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा खसरा नंबर 572 रकबा 04 बिस्वा खसरा नंबर 573 रकबा 02 बोघा 14 बिस्वा खसरा नंबर 575 रकबा 01 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 576 रकबा 02 बिस्वा खसरा नंबर 577 रकबा 03 बिस्वा खसरा नंबर 578

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

02 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 579 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 574 रकबा 03 बिस्वा कुल किता 13 रकबा 40 बीघा 12 बिस्वा कृषि भूमि वाके है। जिन्हें मौजूदा वाद में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पक्षकार की पैत्रीक सम्पत्ति है। जो स्व० श्री दादा श्री मदनलाल जी के पूर्वजों के समय से चली आ रही है, एतद्वारा आराजीयात संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि है प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है गीताबाई की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीगण स्व० मदनलाल के पुत्र प्रेमनाराण के पौत्र एवं पोत्रीयां आदि है। प्रार्थीगण के पिता सत्यनारायण अर्सा 20 वर्ष से लापता है, जिनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। आराजीयात पक्षकारान की COPARCENARY PROPERTY सहदायिकी सम्पत्ति है, जन्म से समस्त पक्षकार का जन्म से अधिकार समाहित है। जगन्नाथीबाई की मृत्यु हो चुकी है। एतद्वारा प्रार्थीगण का आराजीयात वादग्रस्त में जन्म से अधिकार कायम है। यह कि आराजीयात वादग्रस्त का पक्षकारान के मध्य वर्षों पूर्व से मौके पर विभाजन हो रहा है सम्पूर्ण आराजी में से स्व० प्रेमनारायण जी को 4/15 भाग था मुताबिक रिकॉर्ड प्रेमनारायण जी काबिज रहे स्व० प्रेमनारायण जी के तीन पुत्र कमशः सत्यनारायण (प्रार्थी के पिता) एवं बाबूलाल, जमनालाल है। पुत्रीया विवाह के उपरान्त ससुराल में है बाबूलाल, जमनालाल अप्रार्थी संख्या 1–2 है विवाद मुख्यतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के मध्य है शेष पक्षकारान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से पक्षकार बनाया गया है। तहसीलदार महोदय राजस्थान सरकार प्रतिनिधि होने से एवं भू–धारी होने से पक्षकार बनाया गया है। स्व० प्रेमनारायण जी ने अपने तीनों पुत्रों को अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की भूमि का तीन भागों में विभाजन कर रखा था, इस विभाजन के मुताबिक प्रार्थीगण के पिता सत्यनारायण को काश्तकार उदरपूर्ति करने हेतु आराजी खसरा नंबर 44 रकबा 03 बीघा 17 बिस्वा भूमि दे रखी थी, जिसमें सत्यनारायण कृषि कार्य कर अपने परिवार की उदरपूर्ति करते रहे। अप्रार्थी कम 1 व 2. जो प्रार्थीगण के काका है. के द्वारा भाई सत्यनारायण को एवं प्रार्थीगण को यातनाएं देना प्रारंभ कर दिया, सत्यनारायण से लड़ाई–झगड़ा कर भयभीत कर घर से निकाल दिया। परिणामतः सत्यनारायण घर छोड़कर चले गए। प्रार्थीगण कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे, भूमि खसरा नंबर 44 पर प्रेमनारायण जी कृषि कार्य करते रहे। प्रेमनारायण जी की मृत्यु अर्सा दो वर्ष पूर्व हो चुकी है। मृत्यु के उपरांत खसरा नंबर 44 पर वादीगण को काश्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, इस प्रकार संयुक्त हिंदू परिवार की भूमि खसरा नंबर 44 वादीगण की कृषि भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण काबिज है, उक्त आराजी प्रार्थीगण की उदरपूर्ति एवं भरण–पोषण का एकमात्र साधन है। अप्रार्थीगण जमनालाल एवं बाबूलाल की नियत में बदनियती उत्पन्न हो चुकी है, अब वह दोनों प्रयासरत है कि खसरा नंबर 44 से प्रार्थीगण को बेदखल कर अपना कब्जा स्थापित कर प्रार्थीगण को प्राप्त संवैधानिक अधिकार से वचित कर अप्रार्थीगण अपना कब्जा कर ले, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। आराजी वादग्रस्त मद नंबर 2 में से जमनालाल, बाबूलाल का अन्य भूमि पर कब्जा है, प्रार्थीगण की खसरा नंबर 44 पर लहसन की फसल है। बिनायदावा दिनांक 20.03.2022 को जब प्रार्थी पक्ष कृषि भूमि खसरा नंबर 44 की फसल का अवलोकन करने गया तो अप्रार्थी जमनालाल एवं बाबूलाल तथा उनके परिजन हथियारों से लैस होकर आए, गाली–गलौच की. मारने पीटने की धमकी दी तथा अप्रार्थी कम 1 व 2 ने कहा कि आज के बाद जमीन पर पांव मत रखना वरना जिन्दा नहीं छोड़ेंगे, दोनों अप्रार्थीगण लडाकू–झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है तथा खतरनाक लोग हैं। प्रार्थीगण को सम्माननीय न्यायालय से न्याय प्राप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गण ने अप्रार्थीगण से यह भी निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 44 हमारे पिता खाते एवं हिस्से की भूमि है, जिस पर उनकी अनुपस्थिति में काश्त एवं लाभांवित होने का पूर्ण अधिकार हमें प्राप्त है, आप चाहे तो भूमियात का पुनः विभाजन कर ले, किंतु अप्रार्थीगण किसी भी बिन्दू पर सहमत नहीं हुए तथा लड़ाई–झगड़ा करने मारपीट करने पर आमादा रहे। यदि अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल होना पड़ेगा और प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकेगी। यह कि प्राइमा फेसाई केस एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में विद्यमान है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 की ओर से जवाब पेश हुआ। तथा अप्रार्थी क्रम 5 ता 10 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खंख्या 145 व स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा में स्थित है विवादित आराजी पैत्रक आराजी है जो स्व. दादा मदनलाल जी के पूर्वजों के समय से चली आ रही है विवादित आराजी संयक्त हिन्दु परिवार की है पक्षकारान सभी हिन्दु परिवार के सदस्य है गीता बाई की मृत्यु हो चुकी है प्रार्थीगण के पिता सत्यनारायण करीब 20 साल से लापता है जिनकी काई जानकारी नही है विवादित आराजी पैत्रक सम्पत्ति है पक्षकारान जन्म से अधिकार है जगन्नार्थी बाई की मृत्यु हो चुही है विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पूर्व से मौके पर विभाजन हो रहा है विवाद प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के मध्य है विवादित आराजी का तीन भागों में विभाजन कर रखा है सभी अपनी–अपनी भूमि पर काबिज है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 प्रार्थीगण के काका है प्रार्थीगण के पिता घर छोड कर चले गये है प्रार्थीगण कष्टपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे है अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के मन में बदनियती आ गई है तथा प्रार्थीगण को भूमि से बेदखल कर कब्जा प्राप्त करना चाहता है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को बेदखल कर दिया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा मृतक गीता बाई के वारिसान को पक्षकार नही बनाया है जिनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है प्रार्थना पत्र मिस जानईडर ऑफ पार्टीज के दोष के कारण खारिज किया जावें। प्रार्थीगण सत्यनारायण के हिस्से की भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए वाद पत्र पेश किया है प्रार्थीगण द्वारा सत्यनारायण का लापता होना बताया है परन्तु सत्यनारायण के लापता होने का ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है प्रार्थीगण जब जक सत्यनारायण को सक्षम न्यायालय से मृत घोषित नही करवा लेते तब तक सत्यनारायण के हिस्से की भूमि को अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने का कोई अधिकार नही है प्रार्थीगण द्वारा पिता के लापता होने की थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है या किसी अखबार में लापता होने का साया करवाया हे यदि यह कार्य किया है तो उसकी प्रति दावे में पेश करनी चाहिये थी। प्रार्थीगण द्वारा सत्यनारायण के हिस्से की सीमा से अधिक भूमि का वाद लाने का काई कानूनी अधिकार नही है। प्रार्थीगण के पिता का

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

8 हिस्सा बनता है 1/18 हिस्सा के आधार पर 2.05 बीघा भूमि आती है। प्रार्थीगण की खसरा नम्बर 44 रकबा 3.17 बीघा भूमि खातेदारी प्राप्त करने का दावा पेश किया है जो चलने योग्य नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडा नीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 145 के अनुसार प्रेमनारायण,जगन्नाथ,मांगीलाल,पुत्र मदनलाल, पारवती बाई, जगन्नाथी बाई पुत्रिया मदनलाल दर्ज है नामान्तरण संख्या 1441 दिनांक 22.05.2018 से जर्ये हक त्याग पत्र के आधार पर पारवती बाई के हिस्से पर सगे भाई प्रेमनारायण, जगन्नाथ, मांगीलाल, पुत्र मदनलाल का नाम दर्ज होने का जमाबन्दी में नोट अंकित है। इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 1499 दिनांक 06.07.2020 से जर्ये विरासत प्रेमनारायणके फोत होने से उसके वारिसान सत्यनारायण, बाबूलाल, जगन्नाथ, पुत्र प्रेमनारायण भगोती बाई, गीता बाई, पुत्रिया प्रेमनारायण मोहनी बाई पत्नि स्व0 प्रेमनारायण के नाम दर्ज करने का नोट अंकित है नामान्तरण संख्या 1545 दिनांक 20.07.2021 विरासत से मृतक जगन्नाथ के स्थान पर दीपक पंकज पुत्र जगन्नाथ, सुमन रीना उर्फ रानु, शीला पुत्रिया जगन्नाथ व शान्तिबाई पत्नि स्व0 जगन्नाथ के नाम खाता दर्ज करने का नोट अंकित है। प्रार्थी द्वारा पिता सत्यनारायण का लापता होना बताया है अप्रार्थीगण पिता के हिस्से की भूमि पर काश्त करने मे बाधा उत्पन्न करना बताया है प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मात्र अपने पिता के हिस्से की भूमि से काश्त करने में दखल अन्दाजी नही करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबन्द करने का निवेदन किया है प्रार्थीगण के भूमि में खातेदारी अधिकारों का निस्तारण मूल वाद में प्रस्तुत साक्ष्य/साबूतों के आधार पर किया जाएगा तब तक खसरा नम्बर 44 पर यथास्थिति बनाए रखना न्यायोचित है ताकि वाद बहुलक न ही एवं आवश्यक वाद–विवाद पैदा ना हो अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडा नीचा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 44 रकबा 3 बिघा 17 बिस्वा पर मौके की यथास्थिति बनाये रखे। तथा विवादित आराजी को दान रहन बेचान वसीयत हक त्याग कर भूमि को खुर्द–बुर्द नही करे। ऐसा कृत्या ना तो स्वंय करें ओर ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा